

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2008

सा.क्र.नि. 231(अ).— अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप नियम (2) और (2) तथा नियम 7 के उप नियम (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय उत्तरांचल सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) नवम संशोधन विनियमावली, 2008 है ।
- (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "उत्तरांचल" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

उत्तरांचल

उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत वरिष्ठ इयूटी पद -

51

पदों का नाम	पदों की संख्या	तैनाती की न्यूनतम अवधि (वर्षों में)
सरकार के मुख्य सचिव	1	—
महानिदेशक, उत्तरांचल प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल	1	2
सरकार के प्रमुख सचिव	1	2
मुख्य राजस्व आयुक्त	1	2
प्रमुख सचिव एवं वन और ग्रामीण विकास आयुक्त	1	2
प्रमुख सचिव एवं ढांचागत विकास आयुक्त	1	2
प्रमुख सचिव एवं समाज कल्याण आयुक्त	1	2
आवासीय आयुक्त	1	2
सरकार के सचिव	11	2
राज्यपाल के सचिव	1	2
मुख्यमंत्री के सचिव	1	2

संभाग आयुक्त	2	2
आयुक्त, उत्पाद	1	2
आयुक्त, कर	1	2
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पर्यटन बोर्ड	1	2
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग	1	2
श्रम आयुक्त एवं निदेशक, प्रशिक्षण एवं रोजगार	1	2
निदेशक, संस्कृति एवं खेलकूद	1	2
परिवहन आयुक्त	1	2
निदेशक, सूचना एवं सम्पादन, सरकारी राजपत्र	1	2
रजिस्ट्रार, सहकारिता	1	2
जिला, मजिस्ट्रेट	13	2
अपर सचिव	5	2
मुख्य विकास अधिकारी	1	2
कुल	51	—

2.	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत की दर से	20
3.	राज्य प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत की दर से	13
4.	प्रशिक्षण रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत की दर से	02
5.	छुट्टी रिज़र्व और कनिष्ठ पद रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से	28
6.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 तथा 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं	08
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद संख्या 1+2+3+4+5-6)	66
	सीधी भर्ती वाले पद	66
	पदोन्नति वाले पद	28
	कुल प्राधिकृत संख्या	94”

[सं. 11031/3/2003-अ.भा.से.-II(क)]

चैतन्य प्रसाद, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी (1) : इस अधिसूचना के जारी करने के पूर्व छत्तीसगढ़ संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 94 थी ।

टिप्पणी (2) : मूल विनियम 22 अक्टूबर, 1955 की एस.आर.ओ. सं. 3350 के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात् उत्तरांचल के संबंध में इन विनियमों में संशोधन निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं और तारीखों द्वारा किए गए ।

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	दिनांक
1.	8053	21.10.2000
2.	8063	21.10.2000
3.	347	04.10.2004

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2008

G.S.R. 231(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 and sub-clause (C) of Rule 7 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Uttaranchal, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:-

1. (i) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Ninth Amendment Regulations, 2008.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Uttaranchal" and the entries occurring thereafter, the following shall be substituted namely:-

"UTTARANCHAL

Senior Duty Posts under the State Government of Uttaranchal		51
1	Name of the Posts	Number of Posts
		Minimum tenure for posting (in years)
	Chief Secretary to Government	1
	Director General Uttaranchal Administrative Academy Nainital	1
	Principal Secretary to Government	1
	Chief Revenue Commissioner	1
	Principal Secretary & Forest and Rural Development Commissioner	1
	Principal Secretary and Infrastructure Development Commissioner	1

Principal Secretary & Social Welfare Commissioner	1	2
Resident Commissioner	1	2
Secretary to Government	11	2
Secretary to Governor	1	2
Secretary to Chief Minister	1	2
Divisional Commissioner	2	2
Commissioner, Excise	1	2
Commissioner, Taxes	1	2
Chief Executive Officer, Tourism Board	1	2
Commissioner & Director Industries	1	2
Commissioner, Labour and Director, Training & Employment	1	2
Director, Cultural & Sports	1	2
Transport Commissioner	1	2
Director, Information & Editor Gazetteer	1	2
Registrar, Cooperative	1	2
District Magistrates	13	2
Additional Secretary	5	2
Chief Development Officer	1	2
TOTAL	51	
2 Central Deputation Reserve @ 40% of item 1 above	20	
3 State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above	13	
4 Training Reserve @ 3.5% of Item 1 above	2	
5 Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above	28	
6 Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Item 1,2,3 & 4 above	8	
7 Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	66	
Direct Recruitment Posts	66	
Promotion Posts	28	
Total Authorised Strength	94"	

[No. 11031/3/2003-AIS. II(A)]

CHAITANYA PRASAD, Director (Services)

Note 1 : Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of the Uttaranchal cadre was 94

Note 2 : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350 dated the 22nd October 1955. These were subsequently amended in respect of the Uttaranchal Cadre vide the following GSR Nos. and dates:-

S.No.	GSR NOS	DATE
1	805(E)	21.10.2000
2	806(E)	21.10.2000
3	347	04.10.2004